

करकेली, घुलघुली, रहठा, कठौतिया मार्ग लंबाई 40.13 किमी.

स. क्र.	परिक्षेत्र का नाम	कक्ष क्रमांक	वनभूमि में लंबाई	मार्ग की पूर्ण चौड़ाई (मीटर में)	निर्माणाधीन मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)	अन्तर चौड़ाई (मीटर में)
1	उमरिया	P-732 (बिजौरा मोड)	0.30	6.75	10.50	3.75
2	उमरिया	P-730 (जरहा मोड से नरवार मोड)	1.00	6.75	10.50	3.75
3	उमरिया	P-731 (घोटछट नदी)	0.20	6.75	10.50	3.75
4	नौरोजाबाद	P-412 (मनेरी नाका)	0.20	6.75	10.50	3.75
5	नौरोजाबाद	P-417 कठौतिया (गाँव के पहले)	0.20	6.75	10.50	3.75
6	नौरोजाबाद	P-418 कठौतिया (गाँव के बाद)	0.20	6.75	10.50	3.75
	Total :-		2.10			

कार्यालय वन परिक्षेत्र अधिकारी, वन परिक्षेत्र नौरोजाबाद
वन मण्डल उमरिया म.प्र. पिन 484555



दूरभाष क्रमांक (☎) 9424794514E -mail rotnourozabad@mp.gov.in

क्रमांक/ 202

नौरोजाबाद, दिनांक ..11.../..02.../2020

प्रति,

अनुविभागीय अधिकारी

लोक निर्माण विभाग संभाग उमरिया (म0प्र0)

विषय :- बीट कठौतिया अन्तर्गत उदित इन्फ्रावर्ड कम्पनी रीवा के कर्मचारियों द्वारा बिना अनुमति के कठौतिया से शहपुरा रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के संबंध में

संदर्भ:- परिक्षेत्र सहायक रहठा का प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 11.02.2020

-00-

उपरोक्त संदर्भित विषयान्तर्गत अनुरोध है कि वन परिक्षेत्र नौरोजाबाद के अन्तर्गत परिक्षेत्र सहायक वृत्त रहठा के बीट कठौतिया के कक्ष क्रमांक-आर.एफ. 418 के सीमा से लगे राजस्व क्षेत्र में उदित इन्फ्रावर्ड कम्पनी रीवा के कर्मचारियों द्वारा कठौतिया से शहपुरा मार्ग का निर्माण कार्य कराया जा रहा था। उक्त प्राप्त सूचना के आधार पर प0स0, वृत्त रहठा के कर्मचारियों के द्वारा मौके पर पहुंचकर कार्य में लगे कम्पनी के कर्मचारियों को दिनांक 18.11.2019 एवं 10.02.2020 को काम बंद कराने हेतु समझाईस दी गई एवं वन क्षेत्र में बगैर अनुमति के सड़क निर्माण कार्य न कराया जाये।

अतः आप से अनुरोध है कि उक्त कार्य कराये जाने का अनुमति वन विभाग से प्राप्त करने के उपरान्त ही सड़क निर्माण का कार्य कराया जाना सुनिश्चित करे। यदि बगैर अनुमति के सड़क निर्माण कार्य करते हुये पाये जाने पर भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आप स्वतः जिम्मेदार होंगे।

(पी0एस0बास्केल)

वनपरिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र नौरोजाबाद

नौरोजाबाद/दिनांक...../...../2020

पृ0क्र0/.....

प्रतिलिपि:-

1. वन संरक्षक/पदेन वनमण्डलाधिकारी उमरिया क्षे0 की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
2. उपवनमण्डलाधिकारी उमरिया क्षे0 की ओर सूचनार्थ सादर सम्प्रेषित है।
3. उदित इन्फ्रावर्ड कम्पनी रीवा की ओर सूचनार्थ कर लेख किया जाता है कि बिना अनुमति के सड़क निर्माण का कार्य करते हुये पाये जाने पर भारतीय वन संरक्षण अधिनियम के तहत कार्यवाही की जावेगी जिसके लिये आप स्वतः जिम्मेदार होंगे।

(पी0एस0बास्केल)

वनपरिक्षेत्राधिकारी

वन परिक्षेत्र नौरोजाबाद